



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 144-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2017

दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं (वै० एवं या०) को अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत करते हुए स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय में तैनात/निगम को आवण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/अभिज्ञान सं० गृह जनपद/से०नि० की तिथि	वर्तमान पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति पश्चात पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय/आवण्टित निगम
1	2	3	4
1	श्री विक्रम सिंह चाहर/ 89143/आगरा/ 30.06.2020	अधिशासी अभियन्ता पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०	अधीक्षण अभियन्ता पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ
2	श्री इन्दु प्रकाश सिंह/ 89144/इलाहाबाद/ 30.11.2021	अधिशासी अभियन्ता पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०	अधीक्षण अभियन्ता पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ
3	श्री सुनील चन्द्र मिश्रा/ 89146/लखनऊ/ 31.10.2022	अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०	अधीक्षण अभियन्ता उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ

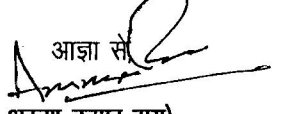
- उपरोक्त अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जा रहा है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाने की स्थिति में कनिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता, स्वतः अधिशासी अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।
- उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपरोक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- निगम को आवण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 144-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 उर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
7. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
9. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

(अरुण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)